

17.09.2025 वकील प्रार्थी अनुपस्थित। शंके मूलवाद
का निस्तारण हो चुका है। ऐसी सूरत में
आवेदन फर आगे चलाने का औचित्य नहीं
है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन फर इसी
स्टेज पर खारिज किया जाता है।

फरावली फैसल सुमार होकर दायरेल
दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,